राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान रिकांगपिओ (छात्र) जिला किन्नौर हि०प्र०
के छात्र निधि लेखो का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2009 से 31.3.2017

भाग – एक

1. गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का सत्यापन करने पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ अपेक्षित हैं। अनिर्णीत पैरों को निपटाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1994 से 03/2005 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	टिप्पणी
1	6	अनिर्णीत
2	12(क)	अनिर्णीत
3	14	अनिर्णीत
4	15(क)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2005 से 03/2009 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	टिप्पणी
1	5	निर्णीत अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त।
2	6	अनिर्णीत
3	7	अनिर्णीत
4	8	निर्णीत अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त।
5	9	अनिर्णीत
6	10	अनिर्णीत
7	11	अनिर्णीत
8	12	अनिर्णीत
9	13	अनिर्णीत
10	14	अनिर्णीत
11	15	अनिर्णीत

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

अवधि 01.04.2009 से 31.03.2017 तक के छात्र कल्याण निधि के लेखो का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गए हैं, श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी (ले.प.) व श्री रविंदर सिंह अनुभाग अधिकारी (ले.प.) द्वारा दिनाँक **29.11.2017 से 14.12.2017** के दौरान **रिकांगपिओ** मे किया गया। लेखों की विस्तृत पड़ताल हेतु चयनित किए गए मासो का विवरण निम्न प्रकार से वर्णित है।

अवधि	आय की विस्तृत जाँच हेतु चयनित मास	व्यय की विस्तृत जाँच हेतु चयनित मास
2009-10	**05/2009**	**11/2009**
2010-11	**01/2011**	**01/2011**
2011-12	**07/2011**	**07/2011**
2012-13	**03/2013**	**03/2013**

2013-14	**02/2014**	**07/2013**
2014-15	**01/2015**	**11/2014**
2015-16	**10/2015**	**07/2015**
2016-17	**07/2016**	**05/2016**

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित आहरण एवं सवितरण अधिकारी संस्थान मे कार्यरत रहे।

क्र.सं.	**आहरण एवं सवितरण अधिकारी का नाम**	**अवधि**
1	श्री ध्यान सिंह नेगी	09.07.2007से 31.3.2016
2	श्री महावीर सिंह चौहान	01.04.2016 से 07.08.2016
3	श्री विवेक नेगी	08.08.2016 से वर्तमान समय तक

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओ एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। संस्था द्वारा कोई सूचना अथवा अभिलेख उपलब्ध न करवाने व गलत सूचना उपलब्ध करवाने हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उतरदायी नहीं होगा।

3. **अंकेक्षण शुल्क**

संस्था के अवधि 01.04.2009 से 31.03.2017 के लेखो के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹22000 बनती है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि प्र शिमला -9 को भेजने हेतु संस्थान से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 663/2017 दिनांक 14.12.2017 द्वारा आग्रह किया गया।

4. **वितीय स्थिति**

(**क)** राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान रिकांगपिओ द्वारा उपलब्ध करवाई गई वितीय स्थिति का विवरण निम्न दिया गया हैं साथ ही विस्तृत विवरण **परिशिष्ट –"“क** “" पर सलंग्न है ।

ITI RECKONGPEO, DISTT. KINNAUR, H.P.							
Financial Position							
Period 01.04.2009 to 31.03.2017							
Sr. No.	**Year**	**Opening Balance**	**Income**	**Interest**	**Total**	**Expenditure**	**Closing Balance**
1	2009-10	487139.00	1515669.00	22950.00	2025758.00	1614110.00	411648.00
2	2010-11	411648.00	1269417.00	14052.00	1695117.00	853993.00	841124.00
3	2011-12	841124.00	1908026.00	34880.00	2784030.00	1390532.00	1393498.00
4	2012-13	1393498.00	841520.00	49759.00	2284777.00	1053041.00	1231736.00
5	2013-14	1231736.00	1757171.00	58705.00	3047612.00	1068790.00	1978822.00
6	2014-15	1978822.00	2194732.00	88252.00	4261806.00	1287732.00	2974074.00
7	2015-16	2974074.00	2008659.00	53743.00	5036476.00	3774592.00	1261884.00
8	2016-17	1261884.00	1339323.00	42625.00	2643832.00	1215418.00	1428414.00

Detail of Bank Balances as on 31.03.2017	
HPSC Bank Account No. 25710106086	1428414.00
FDR NO. 178/2017	389760.00
FDR NO. 181/2017	2181894.00
FDR NO.179/2017	1403745.00
Total	**5403813.00**
Difference(if any)	**3975399.00**

(ख) रोकड़ बही और संबन्धित बैंक खातों के दिनांक 31.03.2017 को दर्शाये गए अंतिम शेष में ₹39.75 लाख के अन्तर बारे।

रोकड़ बही और संबन्धित बैंक खातों के दिनांक 31.03.2017 को दर्शाये गए अंतिम शेष का आपस में मिलान करने पर पाया गया कि दोनों के अंतिम शेष में ₹39,75,399 का अन्तर था। इस अन्तर का मुख्य कारण ₹39,75,399 की सावधि निवेश में जमा की गई राशियों को रोकड़ बही के अंतिम शेष में न दर्शाया जाना था। जबकि नियमानुसार सावधि जमा में निवेश की गई राशि को रोकड़ बही के अंतिम शेष में दर्शाया जाना अपेक्षित होता हैं, ताकि संस्थान की वास्तविक वित्तीय स्थिति का पता चल सके। अत: अवधि 01.04.2009 से 31.03.2017 के दौरान सावधि निवेश में निवेशित की गई राशि को वर्तमान में अर्जित ब्याज की राशि सहित रोकड़ बही के अंतिम शेष में दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में भी सावधि निवेश में निवेशित की गई सभी राशियों को रोकड़ बही के अंतिम शेष में दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5. **निवेश:-**

(क) राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान रिकांगपिओ द्वारा दिनांक 01.04.2009 से 31.03.2017 के दौरान **₹3975399** सावधि जमा में निवेशित की गई थी । सावधि जमा में निवेशित राशि का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट –"ख** "" पर सलंग्न है ।

(ख) सावधि निवेश में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को रोकड़ बही में न दर्शाये जाने बारे।

लेखांकन में मान्य नियमों के अनुसार सावधि जमा में निवेशित राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को प्राप्ति के दिनाँक पर रोकड़ बही में लेखांकन किया जाना आवश्यक हैं जिससे रोकड़ बही संस्थान की सही वित्तीय स्थिति दर्शाई जा सके। राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान रिकांगपिओ द्वारा दिनांक 01.04.2009 से 31.03.2017 के दौरान **₹3975399** सावधि जमा में निवेशित की गई थी। इस निवेशित राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को प्राप्ति के दिनांक को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया था। सावधि जमा में निवेशित राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को प्राप्ति के दिनांक पर रोकड़ बही में लेखांकित न किए जाने के कारण रोकड़ बही संस्थान की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं करती। अत: वर्तमान में सावधि जमा में निवेशित राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को रोकड़ बही में लेखांकित किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्यवाही से इस विभाग को शीघ्र अति शीघ्र सूचित किया जाए।

(ग) निवेश रजिस्टर का रख-रखाव न किया जाना।

नियमानुसार संस्थान द्धारा समय-समय पर छात्र निधियों से जो भी निवेश किया जायेगा, उस स्थिति में निवेशित राशि का पूर्ण विवरण निवेश रजिस्टर में दिया जायेगा। अंकेक्षण में सावधि जमा में निवेशित राशि की पड़ताल करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा **₹3975399** सावधि जमा योजना में छात्र निधि से निवेशित की गई थी। परन्तु इस निवेशित राशि के संदर्भ में निवेश रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था। अत: इस चूक बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। साथ ही भविष्य में सभी निवेशित राशियों के बारे में पूर्ण विवरण निवेश रजिस्टर में लेखांकित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. **छात्रों से प्राप्त विभिन्न राजकीय प्राप्तियों जैसे कि प्रवेश शुल्क (AdmissionFee), हॉस्टल किराये (Hostel Rent) और शिक्षण शुल्क (Tution Fees) इत्यादि की ₹16.03 लाख को अनाधिकृत रूप से छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बही में जमा करवाए जाने बारे ।**

नियमानुसार छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बही में छात्रों से प्राप्त निधि की राशि को ही छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बही में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण में छात्र कल्याण निधि की रोकड़ की पड़ताल पर पाया गया कि अवधि 01.04.2009 से 31.03.2017 के दौरान विभिन्न राजकीय प्राप्तियाँ जैसे कि प्रवेश शुल्क (AdmissionFee), हॉस्टल किराये (Hostel Rent) और शिक्षण शुल्क (Tution Fees) इत्यादि की **₹1603500** को अनाधिकृत रूप से छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था। इस राशि का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट- "ग"**पर दिया गया हैं। राजकीय प्राप्तियाँ जैसे कि प्रवेश शुल्क (AdmissionFee), हॉस्टल किराये (Hostel Rent) और शिक्षण शुल्क (Tution Fees) इत्यादि जोकि किसी भी रूप में छात्र कल्याण निधि से संबन्धित नहीं हैं, को छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बही में लेखांकित किया जाना अनियमित ही नहीं अपितु एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता भी हैं। अत: इस त्रुटि बारे

स्थिति स्पष्ट की जाए एवं नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाए तथा भविष्य में राजकीय प्राप्तियों जैसे कि प्रवेश शुल्क (Admission Fee) हॉस्टल किराये (Hostel Rent) और शिक्षण शुल्क (Tution Fees) इत्यादि को छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बही में दर्ज किए जाने से परिहार किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7 **छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बही में निधियों के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों हेतु प्राप्त ₹7.03 लाख को जमा करने बारे ।**

हिमाचल प्रदेश औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान छात्र कल्याण निधि नियम 2009 के अनुसार छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बही में छात्रों से सम्बन्धित निधियों की प्राप्तियों व भुगतान का विवरण दर्ज किया जाना अपेक्षित होता है। अंकेक्षण के दौरान छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बही की पड़ताल पर पाया गया कि **₹703821** को छात्रों से प्राप्त निधियों के अतिरिक्त अन्य विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्राप्त राशियों एवं भुगतानों को भी छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था जो किसी भी रूप से छात्र कल्याण निधि से संबन्धित नहीं थी। इन सभी राशियों का विवरण **परिशिष्ट-"घ"** पर दिया गया हैं। अतः विभिन्न संस्थाओं से विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्राप्त राशियों को छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बही में दर्ज करने का औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए। तथा भविष्य में छात्रों से प्राप्त विभिन्न निधियों की प्राप्तियों व भुगतान को ही छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बही में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 **श्री सोनम ज्ञान नेगी, सहायक (Dealing Assistant) द्वारा ₹6.37 लाख का दुरूपयोग/गबन**

छात्र निधि की रोकड़ बही की जांच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 28/3 दिनांक 31.08.2013 पर ₹637707 (₹590000+₹47707) श्री सोनम ज्ञान नेगी, तत्कालीन सहायक(Dealing Assistant) वर्तमान में अधीक्षक द्वारा स्वयं को अग्रिम दर्शाया गया था। इस बारे में रोकड़ बही की गहन जाँच करने पर पाया गया कि श्री सोनम ज्ञान नेगी द्वारा छात्रो से एकत्रित फीस की राशि को रोकड़ बही में हस्तगत रखा जा रहा था। साथ ही इस हस्तगत राशि को रोकड़ बही के शेष में भी शामिल नहीं किया जा रहा था, जब यह राशि बढ़ कर ₹637707 हो गई तो उस स्थिति में श्री सोनम ज्ञान नेगी द्वारा रोकड़ बही पृ. संख्या 28/3 पर टिप्पणी के माध्यम से ₹590000 को स्वयं को मशीनरी एवं उपकरण की खरीद हेतु अग्रिम दर्शाया गया और शेष ₹47707 को दिनांक 30.08.2013 को हस्तगत राशि रखा गया था। इस बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 636/2017 दिनांक 29.11.2017 के द्वारा प्रधानाचार्य से आवश्यक सूचना माँगी गई । इस अंकेक्षण अधियाचना के प्रतिउत्तर में प्रधानाचार्य द्वारा सूचित किया गया कि ₹590000 श्री सोनम ज्ञान नेगी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के मशीनरी एवं उपकरण की खरीद हेतु अग्रिम भुगतान के रूप में स्वयं को ही जारी किया दर्शाया गया हैं। शेष ₹47707 दिनांक 30.08.2013 को हस्तगत रखी गई थी जिसे रोकड़ बही के शेष में शामिल नहीं किया गया था। वर्तमान में कुल ₹637707 में से नवंबर 2017 तक श्री सोनम ज्ञान नेगी से कुल ₹619500 की वसूली की जा चुकी हैं। **[परिशिष्ट-"ङ", (6 से 16)]** उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अनुसार श्री सोनम ज्ञान नेगी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करके ₹637707 का सीधे तौर पर दुविनियोजन किया गया।

अत: यह प्रकरण नियमानुसार उचित विभागीय कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों के समक्ष लाया जाता हैं। साथ ही शेष ₹18207/- (637707-619500) की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त दुर्विनियोजित की गई राशि पर दण्ड ब्याज की वसूली भी शीघ्र अति शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को शीघ्र अति शीघ्र अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. छात्र कल्याण निधि ₹1.28 लाख की कम प्रतिपूर्ति करना

हिमाचल प्रदेश सरकार के छात्र कल्याण निधि नियम 2009 के नियम 31 के अनुसार छात्र कल्याण के विशेष महत्व हेतु निदेशक तकनीकी शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के अनुमोदन पर निधि के व्यय का प्रावधान हैं तथा निदेशक तकनीकी शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या एस.टी.वी. (टी.ई.)/एच. सी. (1)2010-20676-755 दिनांक 31.05.2011 के अनुसार ट्रेनर व अनुदेशक को मानदेय के भुगतान की प्रतिपूर्ति एस.ओ.ई.-99 सरकारी कोष से की जानी अपेक्षित हैं। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा ट्रेनर व अनुदेशक को मानदेय का भुगतान छात्र कल्याण निधि से किया जा रहा हैं,परन्तु समय-समय पर उसकी प्रतिपूर्ति सरकारी कोष से नहीं हो रही हैं। परिणाम स्वरूप दिनांक 31.03.2017 तक सरकारी कोष से ₹127831 प्रतिपूर्ति शेष थी। विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-"च"** पर दिया गया हैं। अत: यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस आशय से लाया जाता हैं कि ₹127831 की प्रतिपूर्ति शीघ्र अति शीघ्र करके उक्त राशि को छात्र कल्याण निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

10. छात्र कल्याण समिति (Student Welfare Council) की स्वीकृति प्राप्त किये बिना छात्र कल्याण निधि से ₹5.02 लाख का अनियमित व्यय:-

हिमाचल प्रदेश सरकार के छात्र कल्याण निधि नियम 2009 के अनुसार छात्र कल्याण निधि से व्यय से पूर्व छात्र कल्याण समिति (Student Welfare Council) की स्वीकृति अनिवार्य हैं। अंकेक्षण में उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि छात्र कल्याण निधि से अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान ₹502203 का भुगतान प्रशिक्षकों (Instructors) को वेतन का भुगतान करने के लिए किया गया था। विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-"छ** "पर दिया गया हैं। अपितु इस वेतन की प्रतिपूर्ति सरकारी कोष से की गई थी। परन्तु छात्र कल्याण निधि से भुगतान करने से पूर्व छात्र कल्याण समिति (Student Welfare Council) स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। छात्र कल्याण समिति (Student Welfare Council) की स्वीकृति लिए बिना ही भुगतान किया जाना अनियमित ही नहीं अपितु एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता भी हैं। अत: छात्र कल्याण समिति (Student Welfare Council) की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही चयनित मासों के दौरान ₹502203 के भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही इस भुगतान को वर्तमान में छात्र कल्याण समिति (Student Welfare Council) से स्वीकृत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में छात्र कल्याण निधि से व्यय/भुगतान से पूर्व छात्र कल्याण समिति (Student Welfare Council) की स्वीकृति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11. विभिन्न औधोगिक संस्थानों को किये गए ₹0.49 लाख के भुगतान के संदर्भ में रसीद इत्यादि प्राप्त न किये जाने बारे।

अंकेक्षण में Migrated Students के सन्दर्भ में छात्र कल्याण निधि से हिमाचल प्रदेश में स्थित विभिन्न औधोगिक संस्थानों को किये गए भुगतानों की पड़ताल करने पर पाया गया कि माह 11/2009 के दौरान ₹49300 का भुगतान विभिन्न छात्रों के सन्दर्भ में हिमाचल में स्थित विभिन्न औधोगिक संस्थानों को किया गया था। विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट– "ज "**पर दिया गया हैं। परन्तु इस भुगतान के सन्दर्भ में प्राप्तकर्ता संस्थान के प्रधानाचार्य से भुगतान प्राप्ति की रसीद इत्यादि प्राप्त नहीं की गई थी। भुगतान प्राप्ति की रसीद अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण Migrated Students के सन्दर्भ में किये गए भुगतान की सत्यता की पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः ₹49300 भुगतान के सन्दर्भ में प्राप्तकर्ता संस्थान के प्रधानाचार्य से भुगतान प्राप्ति रसीद प्राप्त न किये जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही वर्तमान में इन सभी संस्थानों के प्रधानाचार्यों से भुगतान प्राप्ति की रसीद प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12. छात्र कल्याण निधि से ₹8.81 लाख का अनाधिकृत भुगतान

अंकेक्षण में छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बही की पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान छात्र कल्याण निधि से ₹881183 का भुगतान कार्यालय के दूरभाष व बिजली बिलों एवं अन्य कार्यालय व्ययों के भुगतान हेतु किया गया था। उक्त राशि में से दिनांक 31.03.2017 तक ₹826451 की प्रतिपूर्ति सरकारी कोष से कर ली गई थी। जबकि ₹54732 की प्रतिपूर्ति वर्तमान समय तक नहीं की गई थी। विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–"झ"** पर दिया गया हैं। छात्र कल्याण निधि के नियमों में कार्यालय के बिजली व दूरभाष बिल एवं अन्य कार्यालय व्ययों के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं हैं। अतः ₹881183 के बिजली व दूरभाष बिल एवं अन्य कार्यालय व्ययों के भुगतान को नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए तथा उक्त अनाधिकृत व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए। इसके अतिरिक्त ₹54732 की प्रतिपूर्ति सरकारी कोष से शीघ्र अति शीघ्र करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13. प्रशिक्षणार्थियों से ₹0.03 लाख की कम वसूली करने बारे।

प्रशिक्षणार्थियों से एकत्रित विभिन्न निधियों से संबन्धित अभिलेख जैसे कि दैनिक संग्रह रजिस्टर व रोकड़ बही की पड़ताल पर पाया गया कि शैक्षिणक वर्ष 2010-11 के दौरान प्रशिक्षणार्थियों से NTC शुल्क के ₹2760 की वसूली नहीं की गई थी। विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–"ञ"** पर दिया गया हैं। अतः प्रशिक्षणार्थियों से NTC शुल्क की ₹2760 की वसूली न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। साथ ही इस शुल्क की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए। अपेक्षित कार्यवाही के उपरान्त अनुपालना से शीघ्र अति शीघ्र सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 प्रशिक्षणार्थियों से एकत्रित ₹0.10 लाख का संभावित गबन/दुर्विनियोजन:-

दैनिक संग्रह रजिस्टर **(Daily Collection Register) (DCR)** तथा रोकड़ बही का आपस में मिलान करने पर पाया गया कि संलग्न **परिशिष्ट" -ट"** में वर्णित मामलों में दैनिक

संग्रह रजिस्टर **(Daily Collection Register)**में एकत्रित फीस की राशि को रोकड़ बही में लेखांकित ही नहीं किया गया था। रोकड़ बही में एकत्रित फीस की राशि का लेखांकन न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹10130.00 को संबन्धित बैंक खाते में जमा नहीं करवाया गया था। इस बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 639/2017 दिनांक 02.12.2017 के प्रतिउत्तर में प्रधानाचार्य द्धारा सूचित किया गया कि **₹10130** को वर्तमान समय तक रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया हैं, परिणामस्वरूप **₹10130** संबन्धित बैंक खाते में भी जमा नहीं करवाई गई हैं। इस प्रकार **₹10130** रोकड़ बही में लेखांकित न किये जाने के कारण संबन्धित बैंक खाते में जमा नहीं करवाये जाने के कारण दुर्विनियोजन/गबन किया गया। अत :दुर्विनियोजन की गई **₹10130** बारे स्थिति स्पष्ट की जाए साथ ही इस राशि की वसूली दण्ड ब्याज सहित उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त उत्तरदायी कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को शीघ्र अति शीघ्र सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. हिमाचल प्रदेश में स्थित अन्य औधोंगिक प्रशिक्षण संस्थानों से औधोंगिक प्रशिक्षण संस्थान रिकांगपिओ को Migrated Students की विभिन्न फीसों के संदर्भ में ₹0.41 लाख की राशि अन्य औधोंगिक प्रशिक्षण संस्थानों से वसूल न किए जाने बारे।

अंकेक्षण में प्रवेश शुल्क रजिस्टर व निधि माँग एवं संग्रह रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि विभिन्न शैक्षणिक वर्ष 2009-10 से 2016-17 के दौरान हिमाचल प्रदेश में स्थित अन्य औधोंगिक प्रशिक्षण संस्थानों से औधोंगिक प्रशिक्षण संस्थान रिकांगपिओ को Migrated Students की विभिन्न फीसों के संदर्भ में ₹41650 वर्तमान समय तक अन्य औधोंगिक प्रशिक्षण संस्थानों से वसूल नही की गई थी। जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता हैं। इस फीस का पूर्ण विवरण **परिशिष्ट-"ठ"** पर दिया गया हैं। उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल करने पर यह भी पाया गया कि इस फीस की वसूली करने बारे अन्य औधोंगिक प्रशिक्षण संस्थानों से किसी प्रकार का कोई पत्राचार भी नहीं किया गया था। अन्य औधोंगिक प्रशिक्षण संस्थानों से Migrated Students के संदर्भ में फीस की वसूली करने के सम्बन्ध में कोई कदम न उठाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। साथ ही Migrated Students की फीस के संदर्भ में ₹41650 की वसूली अन्य औधोंगिक प्रशिक्षण संस्थानों से की जानी सुनिश्चित की जाए।

16. विभिन्न उद्देश्यों हेतु प्रदान किए गए ₹0.89 लाख की अग्रिम राशियों को देरी से समायोजित किए जाने बारे।

व्यय वाऊचरों की जाँच में पाया गया कि विभिन्न व्यक्तियों एवं फार्मों को विभिन्न प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु ₹1200358/-[1045358.00 (पृ.सं. 26 से 30) + 155000 (पृ. सं. 25)] के अस्थाई अग्रिम अवधि 01.04.2009 से 31.03.2017 के दौरान प्रदान किए गए थे। अंकेक्षण में अस्थाई अग्रिमों से संबन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि ₹1111293 के अग्रिम दिनांक 31.03.2017 तक समायोजित किए जा चुके थे। शेष ₹89065/-(₹1200358-₹1111293) के अस्थाई अग्रिम दिनांक 31.03.2017 तक समायोजन हेतु शेष थे।

विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट -"ढ "**में दिया गया हैं। नियमानुसार प्रयोजन के पूर्ण होने के तुरंत बाद अग्रिमों का समायोजन किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार अस्थाई अग्रिमों का समय पर समायोजन न करवाने के कारण राशि के अस्थाई दुर्विनियोजन की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अस्थाई अग्रिमों को समय पर समायोजित न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए इसके अतिरिक्त समायोजित न की गई अस्थाई अग्रिमों की राशि को प्रचलित ब्याज की राशि सहित शीघ्र अति शीघ्र समायोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्यवाही से इस विभाग को भी शीघ्र अति शीघ्र अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव न करना

संस्थान के लेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि संस्थान द्धारा छात्रों से निधियों एवं आय की प्राप्ति हेतु प्रयोग की गई रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था। स्टॉक रजिस्टर के अभाव में रसीद बुकों के दुरूपयोग की सम्भावना बनी रहती है। अत: अपेक्षित रजिस्टर का रख-रखाव जिसमें रसीद बुकों की प्राप्ति का स्त्रोत एवं मात्रा रसीद बुकों के क्रमांक सहित दर्ज करने के पश्चात रसीद बुकों को जारी करने की मात्रा (क्रमांक व प्राप्तकर्ता के नाम व हस्ताक्षर सहित) दर्ज करने के अतिरिक्त संस्थान के पास शेष रसीद बुकों की मात्रा भी दर्ज की जाए तथा इन्हें सक्षम अधिकारी से सत्यापित भी करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18. स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा अंकेक्षण अवधि में स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जबकि नियमानुसार स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जाना अपेक्षित है। अतः नियमानुसार स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. लघु आपति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है, लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

20. निष्कर्ष -:लेखों मे सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्याः- फिन(एल0ए0)(15)(xi)(ix) 33/89 खण्ड-2-2933-2934 दिनांक 27.04.2018
शिमला-09

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1 निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर हि0प्र0

पंजीकृत 2 प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रिकांगपिओ (छात्र), जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881